

अनुदान संख्या 95 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 95-ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	1,00	76	-24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1234,01,00		
पूरक	Supplementary	360,12,00	1594,13,00	1556,40,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-37,72,46
				शून्य Nil
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	750,83,00		
पूरक	Supplementary	388,95,00	1139,78,00	1137,44,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-2,33,43
				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (3772.46 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 36012.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 10 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3772.46 lakhs) constituted 10 percent of the supplementary grants of Rs.36012.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
क-ग ह मंत्रालय	A-Ministry of Home Affairs			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice			
मू.	O.	264.00	336.59	301.25
पू.	S.	53.00		
पु.	R.	19.59		
				-35.34
मुख्य शीर्ष "2053"	Major Head "2053"			
जिला प्रशासन	District Administration			
मू.	O.	494.00	673.67	665.49
पु.	R.	179.67		
				-8.18
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"			
पुलिस	Police			
मू.	O.	5441.00	8441.17	8415.08
पू.	S.	4533.00		
पु.	R.	-1532.83		
				-26.09
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	1323.00	1859.01	1824.57
पू.	S.	633.00		
पु.	R.	-96.99		
				-34.44
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	255.00	148.56	139.83
पु.	R.	-106.44		
				-8.73

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
ख-कृषि मंत्रालय	B-Ministry of Agriculture			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	1140.00	1548.00	1529.23
पू.	S.	475.00		
पु.	R.	-67.00		
मुख्य शीर्ष "2402"	Major Head "2402"			
मृदा तथा जल संरक्षण	Soil and Water Conservation			
मू.	O.	428.00	621.00	589.21
पू.	S.	133.00		
पु.	R.	60.00		
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"			
पशु पालन	Animal Husbandry			
मू.	O.	1102.00	1614.06	1447.75
पू.	S.	664.00		
पु.	R.	-151.94		
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मछली पालन	Fisheries			
मू.	O.	362.00	659.85	647.99
पू.	S.	118.00		
पु.	R.	179.85		
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"			
सहकारिता	Co-operation			
मू.	O.	341.00	446.04	422.66
पू.	S.	109.00		
पु.	R.	-3.96		

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	C - Ministry of Rural Development			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल पूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	1860.00		
पू.	S.	180.00	1778.91	1793.78
पु.	R.	-261.09		+14.87
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	4432.00		
पू.	S.	317.00	4855.40	4825.12
पु.	R.	106.40		-30.28
घ-विद्युत मंत्रालय	D-Ministry of Power			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
विद्युत	Power			
मू.	O.	19929.00		
पू.	S.	2550.00	21515.79	20763.69
पु.	R.	-963.21		-752.10
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	F - Ministry of Environment and Forests			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"			
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life			
मू.	O.	3696.00		
पू.	S.	1907.00	6197.21	6164.21
पु.	R.	594.21		-33.00
छ-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	G - Ministry of Food Processing Industries			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	2710.00		
पू.	S.	777.00	3487.00	2898.97
				-588.03

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
झ-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	I - Ministry of Health and Family Welfare Major Head "2210" Medical and Public Health			
मू.	O.	6151.00		
पू.	S.	1941.00	8533.43	7951.23
पु.	R.	441.43		-582.20
ट-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	J - Department of School Education and Literacy Major Head "2202" General Education			
मू.	O.	7186.00		
पू.	S.	4495.00	11536.79	11136.62
पु.	R.	-144.21		-400.17
ड-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	K - Department of Secondary Education and Higher Education Major Head "2202" General Education			
मू.	O.	6061.00		
पू.	S.	1590.00	8903.07	8578.97
पु.	R.	1252.07		-324.10
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education			
मू.	O.	578.00		
पू.	S.	155.00	702.48	699.83
पु.	R.	-30.52		-2.65
ठ - महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्य शीर्ष "2236" पोषण	L - Department of Women and Child Development Major Head "2236" Nutrition			
मू.	O.	218.00		
पू.	S.		343.00	338.42
पु.	R.	125.00		-4.58

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
त-श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	P – Ministry of Labour and Employment			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment			
मू.	O.	275.00		
पू.	S.	73.00	367.37	348.31
पु.	R.	19.37		-19.06
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	R - Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क और सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges			
मू.	O.	5753.00		
पू.	S.	711.00	6203.83	6133.22
पु.	R.	-260.17		-70.61
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport			
मू.	O.	1677.00		
पू.	S.	565.00	2746.20	2729.33
पु.	R.	504.20		-16.87
ध-जहाजरानी मंत्रालय	S - Ministry of Shipping			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses			
मू.	O.	7740.00		
पू.	S.	1254.00	8776.14	8724.03
पु.	R.	-217.86		-52.11
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping			
मू.	O.	20100.00		
पू.	S.	4412.00	26128.00	26008.72
पु.	R.	1616.00		-119.28

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3056" अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport			
मू.	O.	289.00		
पू.	S.	60.00	339.00	323.94
उ.	R.	-10.00		-15.06
प- नागर विमानन मंत्रालय	U - Ministry of Civil Aviation			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation			
मू.	O.	2016.00		
पू.	S.	239.00	2108.00	2107.52
उ.	R.	-147.00		-0.48
भ-शहरी विकास मंत्रालय	X - Ministry of Urban Development			
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works			
मू.	O.	10076.00		
पू.	S.	3062.00	13493.94	13410.24
उ.	R.	355.94		-83.70
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	955.00		
पू.	S.	82.00	632.00	631.92
उ.	R.	-405.00		-0.08
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing			
मू.	O.	1140.00		
पू.	S.	380.00	1310.00	1347.75
उ.	R.	-210.00		+37.75
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development			
मू.	O.	1660.00		
पू.	S.	200.00	204.20	202.44
उ.	R.	-1655.80		-1.76

(I) 998.05 लाख रु. का प्रावधान तेइस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 744.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान" - 119.00 लाख रु.;

(खा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला तथा अन्य सडकें - नगरपालिकाएं/नगरपालिका परिषदें - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" - 220.00 लाख रु.; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" - 405.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - आयुर्वेद-औषधालय" - 167.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 192.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 59.64 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अनुदान का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(ख) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय स्थापना" - 56.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 65.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 15.48 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(I) Provision of Rs.998.05 lakhs remained wholly unutilised under twenty three heads; of these Rs.744.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes - Tribal Area Sub Plan - Grants to Andaman Adim Janjaati Vikas Samiti" - Rs.119.00 lakhs;

(B) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - Rs.220.00 lakhs; and

(C) Major Head "2215" - "Water Supply - Municipalities/Municipal Council - Port Blair Municipal Council" - Rs.405.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of utilisation certificates.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head " 2210" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Ayurveda - Dispensary" - the original provision of Rs.167.50 lakhs was augmented to Rs.192.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.59.64 lakhs (including supplementary grant) - due to transfer of grant to National Rural Health Mission.

(b) "Public Health" -

(i) Direction and Administration - Headquarters Establishment" - the original provision of Rs.56.10 lakhs was augmented to Rs.65.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.15.48 lakhs (including supplementary grant); and

(ii) “बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम” - 53.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 67.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 23.26 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - अन्य स्कीमें” - 353.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 31.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 384.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 205.06 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आंशिक अंतरण किए जाने, दवाईयों और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “3053” - “हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - वायुयानों का प्रचालन और रख-रखाव” - 16.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 139.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 155.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 147.26 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पवन हंस हेलिकाप्टर लिमिटेड से तीसरा हेलिकाप्टर पट्टे पर न लिए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष “2217” - “सामान्य - नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद” - 1620.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1820.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1659.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) “Prevention and Control of Diseases – National Leprosy Eradication Programme” - the original provision of Rs.53.30 lakhs was augmented to Rs.67.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.23.26 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards payment of Sixth Central Pay Commission arrears.

(c) “General – Tribal Area Sub-Plan – Other Schemes” - the original provision of Rs.353.00 lakhs was augmented to Rs.384.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs. 31.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.205.06 lakhs (including supplementary grant) - due to part transfer to National Rural Health Mission, less procurement of medicine and equipments and requirement of less funds towards payment of Sixth Central Pay Commission arrears.

(B) Major Head “3053” - “Air Services – Other Expenditure – Operation and Maintenance of Air Craft” - the original provision of Rs.16.00 lakhs was augmented to Rs.155.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.139.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.147.26 lakhs (including supplementary grant) - due to non-induction of third helicopter on lease from Pawan Hans Helicopter Ltd.

(C) Major Head “2217” - “General – Municipalities/Municipal Council – Port Blair Municipal Council” - the original provision of Rs.1620.00 lakhs was augmented to Rs.1820.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1659.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of utilisation certificates.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "उच्च न्यायालय - न्यायपालिका का सुदृढीकरण" - 75.14 लाख रु. के मूल प्रावधान को 53.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 128.14 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने के कारण 41.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "जिला पुलिस - जिला पुलिस स्थापना" - 3435.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3574.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7009.85 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सरकारी मुद्रणालय से बिल, चिकित्सा बिल, प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त न होने और कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत/निशुल्क: समुद्री यात्रा का उपयोग न किए जाने के कारण 1476.13 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "बंदरगाह पुलिस - समुद्री पुलिस बल" - 174.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 42.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 216.60 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6.37 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - पुलिस मोटर परिवहन" - 47.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 99.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 49.30 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2014" - "High Courts - Strengthening of Judiciary" - the original provision of Rs. 75.14 lakhs was augmented to Rs.128.14 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.53.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.41.67 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less receipt of leave travel concession and medical claims.

(B) Major Head "2055" -

(a) "District Police - District Police Establishment" the original provision of Rs.3435.85 lakhs was augmented to Rs.7009.85 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3574.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1476.13 lakhs - due to non-receipt of bills from Government Press, medical bills, training charges and non-availing of leave travel concession/free sea passage by employees.

(b) "Harbour Police - Police Marine Force" - the original provision of Rs.174.60 lakhs was augmented to Rs.216.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.42.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.37 lakhs; and

(c) "Modernisation of Police Force - Police Motor Transport" - the original provision of Rs.47.50 lakhs was augmented to Rs.99.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.49.30 lakhs.

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards payment of Sixth Pay Commission arrears.

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" - "अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - बचाव तथा नियंत्रण" - 798.23 लाख रु. के मूल प्रावधान को 633.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1431.23 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने, कर्मचारियों द्वारा यात्रा रियायत/निःशुल्क समुद्री यात्रा का उपयोग न किए जाने के कारण 199.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "2401" - "निदेशन और प्रशासन - कृषि निदेशालय" - 213.05 लाख रु. के मूल प्रावधान को 475.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 688.05 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 382.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ड) मुख्य शीर्ष "2402" - "निदेशन और प्रशासन - मृदा संरक्षण इकाई" - 102.20 लाख रु. के मूल प्रावधान को 133.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 235.20 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 105.30 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे होने के कारण हुईं।

(चा) मुख्य शीर्ष "2403" - "निदेशन और प्रशासन - पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय" - 116.26 लाख रु. के मूल प्रावधान को 664.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 780.26 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी, छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिमों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और चिकित्सकों के स्थानांतरण को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण 626.22 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(छा) मुख्य शीर्ष "2425" -

(C) Major Head "2070" - "Fire Protection and Control - Protection and Control" - the original provision of Rs.798.23 lakhs was augmented to Rs.1431.23 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.633.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.199.03 lakhs - due to non-receipt of claims from DGS&D, non-availing of leave travel concession/free sea passage by employees.

(D) Major Head "2401" - "Direction and Administration - Directorate of Agriculture" - the original provision of Rs.213.05 lakhs was augmented to Rs.688.05 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.475.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.382.90 lakhs; and

(E) Major Head "2402" - "Direction and Administration - Soil Conservation Unit" - the original provision of Rs.102.20 lakhs was augmented to Rs.235.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.133.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.105.30 lakhs.

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards payment of 6th Central Pay Commission arrears and less claims of leave travel concession.

(F) Major Head "2403" - "Direction and Administration - Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services" - the original provision of Rs.116.26 lakhs was augmented to Rs.780.26 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.664.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.626.22 lakhs - due to requirement of less funds towards payment of Sixth Central Pay Commission arrears, leave travel concession advances and non-materialisation of transfer of doctors.

(G) Major Head "2425" -

- (क) “निदेशन और प्रशासन - सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार” - 161.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 216.40 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रतिस्थानी के बिना कार्मिकों का स्थानांतरण किए जाने के कारण 14.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (ख) “सूचना एवं प्रचार - प्रचार” - 33.16 लाख रु. के मूल प्रावधान को 54.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 87.16 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो बिल प्राप्त न होने और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 9.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (जा) मुख्य शीर्ष “2801” -
- (क) “डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - स्थापना व्यय” - 243.88 लाख रु. के मूल प्रावधान को 105.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 348.88 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 21.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और
- (ख) “सामान्य-निदेशन और प्रशासन - निदेशन” - 98.17 लाख रु. के मूल प्रावधान को 125.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 223.17 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 94.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (झा) मुख्य शीर्ष “2406” - “वानिकी - वन संरक्षण - विकास तथा संपोषण- वन विकास” - 999.15 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त
- (a) “Direction and Administration – Registrar of Co-operative Societies” - the original provision of Rs. 161.40 lakhs was augmented to Rs.216.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and transfer of officials without substitutes.
- (b) “Information and Publicity - Publicity” - the original provision of Rs.33.16 lakhs was augmented to Rs.87.16 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.54.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9.74 lakhs - due to non-receipt of bills and non-finalisation of tenders.
- (H) Major Head “2801” -
- (a) “Diesel/Gas Power Generation – Direction and Administration – Establishment Expenditure” - the original provision of Rs. 243.88 lakhs was augmented to Rs.348.88 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.105.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.21.10 lakhs; and
- (b) “General – Direction and Administration – Direction” - the original provision of Rs.98.17 lakhs was augmented to Rs.223.17 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.125.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.94.28 lakhs.
- Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards Sixth Central Pay Commission arrears.
- (I) Major Head “2406” - “Forestry – Forest Conservation – Development and Regeneration – Forest Development” - the original provision of Rs.999.15 lakhs was augmented to Rs.2399.15

करके बढ़ाकर 2399.15 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वन गार्डों को आश्वासित करियर प्रोन्नति की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने और चिकित्सा दावे प्राप्त न होने के कारण 610.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(जा) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - अधिप्राप्ति तथा पूर्ति - गेहू की खरीद" - 225.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 761.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 986.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम मांग होने की वजह से खुले बाजार से गेहू न उठाए जाने के कारण 564.82 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(टा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" - 413.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 373.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 786.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अनुदान अंतरित किए जाने के कारण 159.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "अस्पताल तथा औषधालय - जी. बी. पंत अस्पताल" - 2250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 788.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3038.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 126.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल तथा औषधालय - अन्य अस्पताल" - 1157.97 लाख रु. के मूल प्रावधान को 232.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1389.97 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 130.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.610.28 lakhs – due to non-payment of Assured Career Progression arrears to forest guards and non-receipt of medical claims.

(J) Major Head "2408" - "Food - Procurement and Supply – Purchase of Wheat" – the original provision of Rs.225.00 lakhs was augmented to Rs.986.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.761.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.564.82 lakhs - due to non-lifting of wheat in the open market owing to less demand.

(K) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Direction and Administration – Directorate of Health Services" - the original provision of Rs.413.00 lakhs was augmented to Rs.786.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.373.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.159.16 lakhs - due to transfer of grant to National Rural Health Mission.

(ii) "Hospitals and Dispensaries – G.B.Pant Hospital" - the original provision of Rs.2250.00 lakhs was augmented to Rs.3038.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.788.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.126.56 lakhs; and

(b) "Rural Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Other Hospitals" - the original provision of Rs.1157.97 lakhs was augmented to Rs.1389.97 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.232.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.130.15 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ठा) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" - 6201.33 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4495.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10696.33 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो आश्वासित करियर प्रोन्नति/छोटे केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया की अदायगी न किए जाने और छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की वजह से वेतन शीर्षों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण 729.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान" - 210.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 90.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 300.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो निजी विद्यालयों से दावे प्राप्त न होने के कारण 23.52 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(डा) मुख्य शीर्ष "2203" - "पालिटेक्निक्स - पोर्ट ब्लेयर स्थित पालिटेक्निक्स" - 522.00 लाख के मूल प्रावधान को 155.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 677.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संविदा/निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण 33.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ढा) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम-निर्देशन और प्रशासन - श्रम प्रवर्तन" - 62.64 लाख रु. के मूल प्रावधान को 73.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 135.64 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 57.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards payment of 6th Central Pay Commission arrears.

(L) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - the original provision of Rs.6201.33 lakhs was augmented to Rs.10696.33 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4495.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.729.69 lakhs - due to non-payment of Assured Career Progression/Sixth Central Pay Commission arrears and re-appropriation to heads owing to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(b) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants-in-aid to Private Schools" - the original provision of Rs.210.00 lakhs was augmented to Rs.300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.90.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.23.52 lakhs - due to non-receipt of claims from private schools.

(M) Major Head "2203" - "Polytechnics - Polytechnics at Port Blair" - the original provision of Rs.522.00 lakhs was augmented to Rs.677.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.155.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.33 lakhs - due to delay in finalisation of contract/tender.

(N) Major Head "2230" - "Labour - Direction and Administration - Labour Enforcement" - the original provision of Rs.62.64 lakhs was augmented to Rs.135.64 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.73.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.57.62 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(णा) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन - पत्तन प्रबंधन - पत्तन स्थापना" - 1402.91 लाख रु. के मूल प्रावधान को 564.00 लाख रु. पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1966.91 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न हाने और बकाया की अदायगी न किए जाने के कारण 272.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ता) मुख्य शीर्ष "3056" - "सरकारी परिवहन सेवाएं - प्रबंधन" - 189.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 60.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 249.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम को नियमित न किए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत बिलों का निपटान न किए जाने के कारण 19.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(था) मुख्य शीर्ष "2216" - "साधारण पूल आवास - रख-रखाव तथा मरम्मत" -

(क) "कार्य प्रभारित स्थापना" - 40.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 29.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 69.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण 22.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "अन्य रख-रखाव व्यय" - 1100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 351.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1451.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण 149.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - ब्लाक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत - पंचायत समिति" के अंतर्गत 106.09 लाख रु. की बचत (165.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव/उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(O) Major Head "3051" - "Minor Ports – Port Management – Port Establishment" - the original provision of Rs.1402.91 lakhs was augmented to Rs.1966.91 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.564.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.272.10 lakhs – due to non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals and non-payment of arrears.

(P) Major Head "3056" - "Government Transport Services - Management" - the original provision of Rs.189.00 lakhs was augmented to Rs.249.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.60.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.19.91 lakhs - due to non-regularisation of Assured Career Progression scheme and non-settlement of leave travel concession bills.

(Q) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs" -

(a) "Work Charged Establishment" - the original provision of Rs.40.00 lakhs was augmented to Rs. 69.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.29.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.22.49 lakhs - due to non-payment of arrears.

(b) "Other Maintenance Expenditure" - the original provision of Rs. 1100.00 lakhs was augmented to Rs.1451.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.351.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.149.76 lakhs - due to slow progress of works.

(IV) Under Major Head "2215" - "Water Supply – Block Panchayats/Intermediate Level Panchayat – Panchayat Samiti" - saving of Rs.106.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.165.00 lakhs) was due to non-submission of proposal/utilisation certificates by the Institutions.

(V) मुख्य शीर्ष "2801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत की खरीद" के अंतर्गत 3069.54 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "अन्य विद्युत घर" शीर्ष के अंतर्गत पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक को भारतीय तेल निगम से एच एस डी तेल उपलब्ध कराए जाने और विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 191.58 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2053" - "जिला स्थापना - अंडमान जिला" - 138.53 लाख रु. का अधिक व्यय (410.22 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "2403" -

(क) "पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य - पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम" - 162.07 लाख रु. का अधिक व्यय (331.57 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "गाय तथा भैंस विकास - गाय तथा भैंस विकास कार्यक्रम" - 104.07 लाख रु. का अधिक व्यय (241.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "2405" - "निदेशन तथा प्रशासन - मछली पालन निदेशालय" - 151.10 लाख रु. का अधिक व्यय (118.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 322.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) मुख्य शीर्ष "2515" - "निदेशन तथा प्रशासन - ग्रामीण विकास" - 105.69 लाख रु. का अधिक व्यय (98.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(V) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Purchase of Power" - saving of Rs.3069.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to providing HSD Oil from Director General of Supplies and Disposals from Indian Oil Corporation under the head "Other Power House", Power Plant and ancillary works.

(VI) Under two heads savings of Rs.191.58 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 32 percent and 61 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2053" - "District Establishment - Andaman District" - excess of Rs.138.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.22 lakhs);

(B) Major Head "2403" -

(a) "Veterinary Services and Animal Health - Animal Health Programme" - excess of Rs.162.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.331.57 lakhs);

(b) "Cattle and Buffalo Development - Cattle and Buffalo Development Programme" - excess of Rs.104.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.241.86 lakhs);

(C) Major Head "2405" - "Direction and Administration - Fisheries Directorate" - excess of Rs.151.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.322.50 lakhs including supplementary grant of Rs 118.00 lakhs) ; and

(D) Major Head "2515" - "Direction and Administration - Rural Development" - excess of Rs.105.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.98.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ड) मुख्य शीर्ष "2801" -

(क) "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन" -

(i) "चैथम स्थित बिजली घर - बिजली संयंत्र तथा अनुषंगी निर्माण कार्य" - 491.65 लाख रु. का अधिक व्यय (2225.92 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के लंबित दावों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "फिनिक्स बे स्थित बिजली घर - बिजली संयंत्र तथा अनुषंगी निर्माण कार्य" - 467.79 लाख रु. का अधिक व्यय (247.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1049.41 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "संचरण तथा वितरण - पोर्ट ब्लेयर में संचरण तथा वितरण - बिजली वितरण" - 462.51 लाख रु. का अधिक व्यय (703.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1797.90 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के लंबित दावों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी" -

(i) "निर्देशन तथा प्रशासन - मुख्य वन संरक्षक" - 362.34 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 579.93 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की

Excess under the above five heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

(E) Major Head "2801" -

(a) "Diesel/Gas Power Generation" -

(i) "Power House at Chatham - Power Plant and Ancillary works" - excess of Rs.491.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2225.92 lakhs) was due to settlement of pending Directorate General of Supplies and Disposals claims.

(ii) "Power House at Phoenix Bay - Power Plant and Ancillary works" - excess of Rs.467.79 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1049.41 lakhs including supplementary grant of Rs.247.00 lakhs); and

(b) "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution at Port Blair - Power Distribution" - excess of Rs.462.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1797.90 lakhs including supplementary grant of Rs.703.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations and settlement of pending Directorate General of Supplies and Disposals claims.

(F) Major Head "2406" -

(a) "Forestry" -

(i) "Direction and Administration - Chief Conservator of Forests" - excess of Rs.362.34 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.579.93 lakhs including supplementary grant of Rs.50.00

- सिफारिशें लागू किए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने के कारण हुआ।
- (ii) “वन उत्पाद - इमारती लकड़ी का परिवहन” - 384.38 लाख रु. का अधिक व्यय (585.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - वन्यजीव संरक्षण” - 173.84 लाख रु. का अधिक व्यय (340.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 951.53 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने और आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम लागू किए जाने के कारण हुआ।
- (छा) मुख्य शीर्ष “2210” -
- (क) “ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम” - 388.81 लाख रु. का अधिक व्यय (390.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1650.60 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा भंडार विभाग के लंबित बिलों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन” - 221.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता अनुदान के रूप में राज्यों के हिस्से का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।
- (जा) मुख्य शीर्ष “2202”-
- (क) “माध्यमिक शिक्षा” -
- lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations and filling up of vacant posts.
- (ii) “Forest Produce – Transportation of Timber” - excess of Rs.384.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.60 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (b) “Environment Forestry and Wild Life – Wild Life Preservation – Wildlife Protection” - excess of Rs.173.84 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.951.53 lakhs including supplementary grant of Rs.340.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations and implementation Assured Career Progression Scheme.
- (G) Major Head “2210” -
- (a) “Rural Health Services – Allopathy - Primary Health Centres - Primary Health Scheme” - excess of Rs.388.81 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1650.60 lakhs including supplementary grant of Rs.390.00 lakhs) was due to payment of pending bills of Medical Stores Department.
- (b) “Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Rural Health Mission” - excess of Rs.221.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to transfer of States share as Grants-in-aid.
- (H) Major Head “2202” -
- (a) “Secondary Education” –

- (i) "सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" - 565.98 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5445.74 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - अन्य स्कीमें" - 156.28 लाख रु. का अधिक व्यय (262.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) "विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थाएं - जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर" - 157.15 लाख रु. का अधिक व्यय (534.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ग) "सामान्य - निदेशन तथा प्रशासन - शिक्षा महानिदेशालय" - 120.24 लाख रु. का अधिक व्यय (280.69 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने के कारण हुआ।

(झ) मुख्य शीर्ष "2236" - "पोषक भोजन तथा पेयों का वितरण - दोपहर का भोजन - पोषण" - 123.83 लाख रु. अधिक व्यय (166.48 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ज) मुख्य शीर्ष "3055" - "सरकारी परिवहन सेवा-परिचालन" - 499.95 लाख रु. का अधिक व्यय (565.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1991.55 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने और लंबित देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(टा) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं" -

- (i) "Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of Rs.565.98 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5445.74 lakhs including supplementary grant of Rs.1500.00 lakhs);
- (ii) "Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes" - excess of Rs.156.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.262.50 lakhs);
- (b) "University Higher Education - Government College and Institutes - Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair" - excess of Rs.157.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.534.30 lakhs); and
- (c) "General - Direction and Administration - Directorate of Education" - excess of Rs.120.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.280.69 lakhs).

Excess under the above four heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation

(I) Major Head "2236" - "Distribution of Nutritious Food and Beverages - Mid-Day Meals - Nutrition" - excess of Rs.123.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.166.48 lakhs) was due to increase in the number of beneficiaries.

(J) Major Head "3055" - "Government Transport Services - Operation" - excess of Rs.499.95 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1991.55 lakhs including supplementary grant of Rs.565.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Pay Commission recommendations and clearance of pending liabilities.

(K) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services" -

(क) “मुख्य भूमि का परिचालन प्रभार - अंतर्देशीय पोत” - 279.89 लाख रु. का अधिक व्यय (712.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3812.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - 157.75 लाख रु. का अधिक व्यय (60.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पोतों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) “भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी” - 498.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 14450.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) “अंतरद्वीपीय पोतों का परिचालन प्रभार” - 485.01 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5650.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पोतों की कार्मिक आवश्यकता पूरी करने और रख-रखाव के लिए भारतीय जहाजरानी निगम को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ठा) मुख्य शीर्ष “2059” - “सामान्य” -

(क) “मशीनरी तथा उपस्कर - नई पूर्तियां” - 108.01 लाख रु. का अधिक व्यय (725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “रख-रखाव तथा मरम्मत - भवन” - 160.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) “Operational Charges of Mainland – Islands Vessels” - excess of Rs.279.89 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3812.00 lakhs including supplementary grant of Rs.712.00 lakhs); and

(b) “Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme” – excess of Rs.157.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs of vessels.

(c) “Payment to S.C.I” - excess of Rs.498.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14450.00 lakhs including supplementary grant of Rs.3500.00 lakhs); and

(d) “Operational Charges of Inter-Islands Vessels” – excess of Rs.485.01 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5650.00 lakhs including supplementary grant of Rs.200.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to payment to Shipping Corporation of India for manning and maintenance cost of vessels.

(L) Major Head “2059” - “General” –

(a) “Machinery and Equipment – New Supplies” - excess of Rs.108.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.725.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of machinery.

(b) “Maintenance and Repairs - Buildings” - excess of Rs.160.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional fund towards maintenance and repairs of buildings.

(II) अठारह शीर्षों के अंतर्गत 1193.74 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 2893 प्रतिशत तक था।

(II) Under eighteen heads excess of Rs.1193.74 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 2893 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
ख-कृषि मंत्रालय	B-Ministry of Agriculture			
मुख्य शीर्ष "4401"	Major Head "4401"			
फसल कृषि कर्म पर	Capital Outlay on			
पूंजीगत परिव्यय	Crop Husbandry			
मू.	O.	589.00		
पु.	R.	-342.00	247.00	245.15
				-1.85
मुख्य शीर्ष "4405"	Major Head "4405"			
मछली पालन पर	Capital Outlay on			
पूंजीगत परिव्यय	Fisheries			
मू.	O.	481.00		
पु.	R.	-97.00	384.00	383.57
				-0.43
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	C-Ministry of Rural Development			
मुख्य शीर्ष "4215"	Major Head "4215"			
जल पूर्ति तथा सफाई	Capital Outlay on			
पर पूंजीगत परिव्यय	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	1519.00		
पु.	S.	725.00	2990.00	2987.34
	R.	746.00		-2.66
घ-विद्युत मंत्रालय	D-Ministry of Power			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"			
विद्युत परियोजनाओं पर	Capital Outlay on			
पूंजीगत परिव्यय	Power Projects			
मू.	O.	4423.00		
पु.	S.	1755.00	6637.00	6555.89
	R.	459.00		-81.11

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	F - Ministry of Environment and Forests			
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life			
मू.	O. 2733.00	3208.00	3326.20	+118.20
पू.	S. 500.00			
पु.	R. -25.00			
ट-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	K - Department of Secondary Education and Higher Education			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O. 474.00	383.00	351.13	-31.87
पु.	R. -91.00			
ध-लघु उद्योग मंत्रालय	N- Ministry of Small Scale Industries			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries			
मू.	O. 400.00
पु.	R. -400.00			
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	R - Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges			
मू.	O. 7008.00	8214.00	8126.91	-87.09
पू.	S. 740.00			
पु.	R. 466.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
ध-जहाजरानी मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय	S - Ministry of Shipping Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses			
मू.	O.	1110.00		
पु.	R.	-357.84	752.16	743.49
				-8.67
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	4290.00		
पु.	R.	-207.00	4083.00	4010.74
				-72.26
प-नागर विमानन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	U - Ministry of Civil Aviation Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation			
मू.	O.	4074.00		
पु.	R.	-3668.00	406.00	396.48
				-9.52
भ-शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	X - Ministry of Urban Development Major Head "4055" Capital Outlay on Police			
मू.	O.	2092.00		
पु.	R.	608.00	2700.00	2700.98
				+0.98

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1380.00		
पु.	R.	373.15	1753.15	1772.69 +19.54
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	1670.00		
पु.	R.	467.96	2137.96	2164.44 +26.48
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	1003.00		
पु.	R.	212.00	1215.00	1214.71 -0.29
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	925.00		
पु.	R.	495.00	1420.00	1420.01 +0.01
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	36088.00		
पू.	S.	35000.00	71287.00	71296.09 +9.09
पु.	R.	199.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development			
मू.	O.	550.00		
पु.	R.	-334.00	216.00	216.06
				+0.06
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare			
मू.	O.	58.00		
पु.	R.	96.00	154.00	154.20
				+0.20
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	142.00		
पु.	R.	200.00	342.00	357.76
				+15.76
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	428.00		
पु.	R.	216.00	644.00	639.10
				-4.90
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport			
मू.	O.	208.00		
पु.	R.	292.00	500.00	513.81
				+13.81

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"			
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	110.00	8.50	9.19
पु.	R.	-101.50		
				+0.69
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"			
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism			
मू.	O.	290.00	420.00	425.24
पु.	R.	130.00		
				+5.24
म-जल संसाधन मंत्रालय		Y - Ministry of Water Resources		
मुख्य शीर्ष "4702"	Major Head "4702"			
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Minor Irrigation			
मू.	O.	166.00	329.73	328.55
पु.	R.	163.73		
				-1.18
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"			
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects			
मू.	O.	425.00	1098.00	1098.06
पू.	S.	175.00		
पु.	R.	498.00		
				+0.06

(I) 1641.50 लाख रु. का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1476.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1641.50 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.1476.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4401" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड" - 446.00 लाख रु. व्यवहार्य रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने की वजह से निगम में निवेश न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4405" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड" - 400.00 लाख रु. पात्र सहकारी समितियों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "4851" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड" - 400.00 लाख रु. प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "5054" - "सामान्य - अन्य व्यय - मशीनरी की खरीद" - 230.00 लाख रु. मशीनरी की खरीद न किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - वन उत्पाद - चैथम आरा मिल" - 402.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 602.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निधियों को अभ्यर्पित किए जाने के कारण 35.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" - "सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 2757.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 740.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3497.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 84.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(A) Major Head "4401" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings – Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd" - Rs.446.00 lakhs - due to non-investment in the Corporation owing to non-furnishing of feasibility report.

(B) Major Head "4405" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings – Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd" - Rs.400.00 lakhs - due to non-receipt of application from eligible Co-operative Societies.

(C) Major Head "4851" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings – Andaman & Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd" - Rs.400.00 lakhs - due to non-receipt of proposal.

(D) Major Head "5054" - "General - Other Expenditure - Purchase of Machinery" - Rs.230.00 lakhs - due to non-purchase of machinery.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "4406" - "Forestry – Forest Produce – Chatham Saw Mill" – the original provision of Rs.402.00 lakhs was augmented to Rs.602.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.00 lakhs – due to surrender of funds based on actual requirement.

(B) Major Head "5054" – "General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programme" – the original provision of Rs.2757.00 lakhs was augmented to Rs.3497.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.740.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.84.09 lakhs; and

(III) मुख्य शीर्ष "4202" - "तकनीकी शिक्षा - पालिटैक्निक्स - विश्व बैंक की सहायता से तीसरे तकनीकी शिक्षा का सुद ढीकरण" के अंतर्गत 131.87 लाख रु. की बचत (404.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - पत्तन उपस्कर तथा मशीनरी" के अंतर्गत 274.58 लाख रु. की बचत (841.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पैटून के निर्माण के लिए प्रशासन से देर से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - टनभार का अधिग्रहण तथा विस्तार - पोतों की खरीद" के अंतर्गत 1068.17 लाख रु. की बचत (2924.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य भूमि पोत प्रांगण में निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में चरण समाप्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमान पत्तन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अन्य व्यय - वायुयानों का प्रचालन तथा रख-रखाव" - 3520.53 लाख रु. की बचत (3874.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हेलीकाप्टरों तथा वायुयानों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "विमानपत्तन - पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का निर्माण" - 156.99 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VII) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - भवन" के अंतर्गत 101.01 लाख रु. की बचत (276.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VIII) मुख्य शीर्ष "4217" - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - निर्माण - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में गैर-सड़क किनारे नालियों का

(III) Under Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Strengthening of Third Technician Education with World Bank Assistance" - saving of Rs.131.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.404.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to slow progress of works.

(IV) Under Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - saving of Rs.274.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.841.00 lakhs) was due to late receipt of approval from the Administration for construction of Pantoon.

(V) Under Major Head "5052" - "General - Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of Rs.1068.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2924.00 lakhs) was due to non-receipt of stage completion certificate in respect of vessel under construction at mainland shipyard.

(VI) Under Major Head "5053" - "Air ports" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Expenditure - Operation and Maintenance of Air Crafts" - saving of Rs.3520.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3874.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for procurement of helicopters and aircrafts.

(B) "Aerodromes - Construction of Port Blair Airport" - saving of Rs.156.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);

(VII) Under Major Head "4202" - "General Education - Tribal Area Sub-Plan - Buildings" - saving of Rs.101.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.276.00 lakhs);

(VIII) Under Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Construction -

निर्माण के अंतर्गत 333.98 लाख रु. की बचत (434.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IX) मुख्य शीर्ष "5425" - "अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 100.81 लाख रु. की बचत (110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(X) छह शीर्षों के अंतर्गत 416.56 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (835.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-पोतों की खरीद" के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 788.91 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "4405" - "अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 303.74 लाख रु. का अधिक व्यय (70.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति" -

(क) "ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति" - 492.34 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 246.00 लाख रु. का अधिक व्यय

Construction of Non-Road side drain in Port Blair Area" - saving of Rs.333.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.434.00 lakhs); and

(IX) Under Major Head "5425" - "Other Expenditure - Buildings" - saving of Rs.100.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.110.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to slow progress of works.

(X) Under six heads savings of Rs.416.56 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 33 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.835.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "5052" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships". Actual excess, however, was Rs.788.91 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4405" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.303.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.70.00 lakhs).

(B) Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply" -

(a) "Water Supply in Rural Areas" - excess of Rs.492.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(b) "Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" -

(725.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1144.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "4801" - "सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 484.70 लाख रु. का अधिक व्यय (1755.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4541.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड, अंडमान लोक निर्माण विभाग को सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - वन उत्पाद - अन्य स्कीमें" - 108.14 लाख रु. का अधिक व्यय (185.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला तथा अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य" -

(क) "जिला सड़कें" - 144.01 लाख रु. का अधिक व्यय (656.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "ग्रामीण सड़कें" - 413.99 लाख रु. का अधिक व्यय (680.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(चा) मुख्य शीर्ष "4055" -

(क) "राज्य पुलिस - अन्य सिविल निर्माण कार्य" - 200.97 लाख रु. का अधिक व्यय (830.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

excess of Rs.246.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1144.00 lakhs including supplementary grant of Rs.725.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to accelerated progress of works.

(C) Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.484.70 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4541.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1755.00 lakhs) was due to payments to National Thermal Power Corporation, Power Grid Corporation of India Ltd., Andaman Public Works Department etc. towards Tsunami Rehabilitation Programmes.

(D) Major Head "4406" - "Forestry - Forest Produce- Other Schemes" - excess of Rs.108.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.185.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

(E) Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works" -

(a) "District Roads" - excess of Rs.144.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.656.00 lakhs);

(b) "Rural Roads" - excess of Rs.413.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.680.00 lakhs); and

(F) Major Head "4055" -

(a) "State Police - Other Civil Works" - excess of Rs.200.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.830.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to accelerated progress of works.

(ख) "विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन" - 450.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के प्रक्षेपण के आधार पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य- निर्माण" -

(क) "अन्य विभाग" - 176.43 लाख रु. का अधिक व्यय (437.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "सामान्य प्रशासन" - 116.26 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(जा) मुख्य शीर्ष "4202" -

(क) "सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - भवन" - 119.88 लाख रु. का अधिक व्यय (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "कला और संस्कृति - अन्य व्यय - भवन" - 297.96 लाख रु. का अधिक व्यय (38.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(झा) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 119.01 लाख रु. का अधिक व्यय (13.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ञ) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति- शहरी क्षेत्रों को जल पूर्ति" - 495.01 लाख रु. का अधिक व्यय (925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(टा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 195.83 लाख रु. का अधिक व्यय (35000.00 लाख रु. के

(b) "Special Police - India Reserve Battalion" - excess of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds based on projections of National Hydro Power Corporation.

(G) Major Head "4059" - "General - Construction" -

(a) "Other Departments" - excess of Rs.176.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.437.00 lakhs);

(b) "General Administration" - excess of Rs.116.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs);

(H) Major Head "4202" -

(a) "General Education - University and Higher Education - Buildings" - excess of Rs.119.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs);

(b) "Art and Culture - Other Expenditure - Buildings" - excess of Rs.297.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.38.00 lakhs);

(I) Major Head "4210" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.119.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13.00 lakhs);

(J) Major Head "4215" - "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - excess of Rs.495.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.925.00 lakhs);

(K) Major Head "4216" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of

पूरक अनुदान सहित 70111.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ठा) मुख्य शीर्ष "4235" - "सामाजिक कल्याण - अन्य व्यय - भवन" - 117.70 लाख रु. का अधिक व्यय (36.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(डा) मुख्य शीर्ष "4250" - "श्रम - भवन" - 215.76 लाख रु. का अधिक व्यय (142.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ध) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 216.03 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(णा) मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास-भवन" - 135.24 लाख रु. का अधिक व्यय (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ता) मुख्य शीर्ष "4711" - "समुद्र अपरदन रोधी परियोजना - सिविल निर्माण कार्य - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 498.06 लाख रु. का अधिक व्यय (175.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 306.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निर्माण कार्य की त्वरित प्रगति होने के कारण हुआ।

(था) मुख्य शीर्ष "5055" - "भूमि तथा भवन - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 243.00 लाख रु. का अधिक व्यय (7.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधीन चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(दा) मुख्य शीर्ष "4702" - "अन्य व्यय - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 162.93 लाख

Rs.195.83 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.70111.00 lakhs including supplementary grant of Rs.35000.00 lakhs) ;

(L) Major Head "4235" - "Social Welfare - Other Expenditure - Buildings" - excess of Rs.117.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36.50 lakhs);

(M) Major Head "4250" - "Labour - Building" - excess of Rs.215.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.142.00 lakhs);

(N) Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.216.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(O) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Buildings" - excess of Rs.135.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs); and

(P) Major Head "4711" - "Anti-sea Erosion Project - Civil Works - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.498.06 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.306.00 lakhs including supplementary grant of Rs.175.00 lakhs).

Excess under the above twelve heads was due to accelerated progress of works.

(Q) Major Head "5055" - "Land and Buildings - Additional Central Assistance for Tsunami Rehabilitation Programmes" - excess of Rs.243.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for ongoing works undertaken by Andaman Public Works Department.

(R) Major Head "4702" - "Other Expenditure - Additional Central Assistance for Tsunami

रु. का अधिक व्यय (133.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत चेक डैम (रोकबांध), कुओं और तालाबों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) बारह शीर्षोंके अंतर्गत 904.46 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 46840 प्रतिशत तक था।

Rehabilitation Programmes” - excess of Rs.162.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.133.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of check dams, wells and ponds under Tsunami Rehabilitation Programme.

(II) Under twelve heads excess of Rs.904.46 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 46840 percent of the sanctioned provision.
